

पत्र संख्या-विधि-भाग-6(08:09)-

12321 0809/07
वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(विधि अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: फरवरी , 2009

—:आदेश:—

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (प्रथम संशोधन) नियमावली 2009 द्वारा नियम 45 के अन्तर्गत प्राविधानित वार्षिक कर विवरणी के प्रारूप फार्म-छब्बीस, फार्म-छब्बीस क एवं फार्म-छब्बीस ख प्रख्यापित किये गये हैं। इसी नियम के उपनियम (13) में कमिश्नर को कर विवरणी या वार्षिक विवरणी के फार्म को उपान्तरित या संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है। अतः मैं, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 45 के उपनियम (13) में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए नियम 45 के उपनियम (7) में यथा प्राविधानित वार्षिक विवरणी के फार्म-छब्बीस, फार्म- छब्बीस क एवं फार्म-छब्बीस ख के प्रारूप को संशोधित करते हुए संशोधित प्रारूप फार्म-छब्बीस, फार्म- छब्बीस क एवं फार्म-छब्बीस ख जारी किये जाने के आदेश निर्गत करता हूँ। फार्म-छब्बीस, फार्म- छब्बीस क एवं फार्म-छब्बीस ख के संशोधित प्रारूप तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नक : फार्म-छब्बीस, फार्म- छब्बीस क
एवं फार्म-छब्बीस ख के संशोधित
प्रारूप।

(अनिल संत)

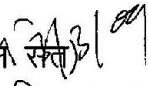
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ०प०सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. श्री एस०सी०द्विवेदी/श्री यू०सी०दीक्षित, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
3. अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र०।
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
6. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/(वि०अनु०शा०)/(अपील)/कॉरपोरेट सर्किल/ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
9. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।

10. मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग।
11. समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ०प्र०।
12. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

(अनिल सेत) 
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ०प्र०।